Name of the Subject: VACANCY CIRCULAR

Date of the Publication: 14.12.2019

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

No. ERB-I/2018/2/90

VACANCY CIRCULAR

Post	:	Editor (Indian Railways)/Railway Board, New Delhi		
Number of vacancies	:	1 (One)		
Scale of Pay	:	Pay Band-3 + Grade Pay ₹ 7600/- (pre-revised)/Level 12 in the Pay Matrix		
Method of Recruitment	:	Deputation or absorption		
Eligibility for Deputation	:	Officers of the Central Government		
		(a)	(i)	Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department, or
			(ii)	Five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3, of ₹ 15,600-39,100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent in the Parent Cadre or Department; and
		(b)	Possessing the educational and other qualifications as given below:	
			(i)	Master's Degree in English from a recognized University or equivalent.
			(ii)	Ten years experience in Journalism or as Editor in English in any publication department of the Central Government or any News-paper or news agency or publicity organization under the Central Government.
		Desirable:		
		Degree or diploma in Journalism from a recognized University or Institution.		

2. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
3. The eligible officers may send their applications through proper channel in the prescribed format given at **Annexure-A, to Under Secretary (E)III, Room No. 536-A, Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi-110001, so as to reach within 45 days** of the publication of the vacancy circular in the employment news/rojgar samachar. While forwarding the applications, ***it may be ensured by the administrative Ministries/Departments concerned that the particulars of the candidates are verified and certified that they fulfil the eligibility conditions and that attested photocopies of APARs for the last five years and their Disciplinary/Vigilance clearances, cadre clearances, Integrity Certificates and list of major/minor penalty imposed if any on the officer, during the last 10 years (if no penalty has been imposed a –NIL– certificate should be enclosed) are forwarded along with their applications.***

15x16

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी–I/2018/2/90

रिक्ति परिपत्र

पद	:	संपादक (इंडियन रेलवेज़)/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली		
रिक्तियों की संख्या	:	1 (एक)		
वेतनमान	:	वेतन बैण्ड–3 + ग्रेड पे 7600 रु. (संशोधन पूर्व)/पे मेट्रिक्स में लेवल 12		
भर्ती की विधि	:	प्रतिनियुक्ति या आमेलन		
प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता	:	केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी		
		(क)	(i)	जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
			(ii)	जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड–3, 15600–39100 रुपए और ग्रेड वेतन 6600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; **और**
		(ख)	जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हों	
			(i)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य
			(ii)	केंद्रीय सरकार के किसी भी प्रकाशन विभाग में या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी भी समाचार–पत्र या न्यूज़ एजेंसी या प्रकाशन संगठन में अंग्रेजी पत्रकारिता या सम्पादक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।
		वांछनीय:		
		किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा।		

2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. पात्र अधिकारी अपना आवेदन एम्पलॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में इस रिक्ति परिपत्र के प्रकाशित होने के **45 दिनों के भीतर अनुलग्नक–क** पर दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में उचित माध्यम से **अवर सचिव (स्था.)–III, कमरा सं. 536–ए, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001** को भेजें। आवेदन–पत्र भेजते समय **संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उम्मीदवारों के ब्यौरे सत्यापित कर लिए गए हैं और प्रमाणित कर लिया गया है कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और पिछले पांच वर्षों की एपीएआर की सत्यापित प्रतियां और उनके अनुशासनिक/सतर्कता क्लीयरेंस, संवर्ग क्लीयरेंस और सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र और पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति, यदि कोई हो, की सूची (यदि कोई शास्ति नहीं लगाई गई हो तो कोई शास्ति न लगाई गई होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाए) इसके साथ भेजे गए हैं।**

15x16